an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Papers to be Laid on the Table.

...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013 –

(1) Review by the Government of the working of the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2015-2016.

(2) Annual Report of the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5604/16/16]

...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 –

(1) The Employees' Pension (Sixth Amendment) Scheme, 2016 published in Notification No. G.S.R.1036(E) in Gazette of India dated 2nd November, 2016.

(2) The Employees' Provident Funds (Fifth Amendment) Scheme, 2016 published in Notification No. G.S.R.1035(E) in Gazette of India dated 2nd November, 2016.

(3) The Employees' Provident Funds (Sixth Amendment) Scheme, 2016 published in Notification No. G.S.R.1065(E) in Gazette of India dated 11th November, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 5605/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI PIYUSH GOYAL): On behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013 –

(1) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5606/16/16]

(2) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Indian Oil Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Indian Oil Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5607/16/16]

(3) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5608/16/16]

(4) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and

comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5609/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to lay on the Table –

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013--

(i) Review by the Government of the working of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5610/16/16]

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Design, Ahmedabad, for the year 2015- 2016, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 5611/16/16]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Inspection Council of India, New Delhi, for the years 2012-2013 to 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 5612/16/16]

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Export Inspection Council of India, New Delhi, for the years 2012-2013 to 2014-2015, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5612A/16/16]

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Inspection Council of India, New Delhi, for the years 2012-2013 to 2014-2015.

(4) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 5612B/16/16]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :- ...(व्यवधान)

1. (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[Placed in Library, See No. LT 5613/16/16]

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015- 16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015- 16 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5614/16/16]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :- ...(व्यवधान)

(1) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 5615/16/16]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं ः-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015- 2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5616/16/16]

(2) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण सरकार द्वारा समीक्षा। ...(व्यवधान)

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5617/16/16]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हः ं-

(1) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष

2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। ...(व्यवधान)

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष

2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5618/16/16]

(3) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति। ...(व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 5619/16/16]

(4) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरागोड के वर्ष 2015-2016 का

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरागोड का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरागोड के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5620/16/16]

(5) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[Placed in Library, See No. LT 5621/16/16]

(6) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5622/16/16]

(8) पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं.पीयू/एसीए-1/संशोधन/2013-14 जो 15 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के परिनियम सं. 19 के खंड (1) और (2) के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5623/16/16]

(9) तेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1993 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) अधिसूचना सं.91 जो 19 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो तेजपुर विश्वविद्यालय के परिनियम 2 (4) के संशोधन के बारे में हैं।

(दो) अधिसूचना सं. एफ. 12-2/97/(जीए-आई)वाल्यू-पांच/3659 जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रतिकुलपति की परिलब्धियों तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों से संबंधित अध्यादेश संख्यांक 21 के संशोधन के बारे में हैं।

(तीन) अधिसूचना सं. एफ. 12-2/97/(जीए-आई)वाल्यू-पांच/3659 जो 22 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो तेजपुर विश्वविद्यालय के शासी परिषद के संविधान, शक्ति और कृत्यों से संबंधित अध्यादेश संख्यांक 21 के संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 5624/16/16]

(10) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) अधिसूचना सं.22 जो 3 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के परिनियम 11और 13 के संशोधन के बारे में हैं।

(दो) अधिसूचना सं. 267 जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के परिनियम 2 (4); 11 और 13 के संशोधन के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना सं. 388 जो 25 अक्टूबर, 2016 के के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के परिनियम 5, 11, 13, 41 और 45 के संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 5625/16/16]

(11) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 के साथ पठित धारा 23 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (सम्मिश्रित अधिगम रीति से तकनीकी शिक्षा के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाना) विनियम, 2013 जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 37- 3/लीगल/एआईसीटीई/2013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5626/16/16]